

क्र/मा/३

उक्त पक्ष उक्त अधीन स्वीकार कर ताहसा/७५/१५
मौजतौषित किया जाता है। विस्तृत आदेश
मेरे द्वारा उक्त से लिखवाया जाकर सुनाया
जाया क शापित किया। जमावली के साथ सुमा
होकर नम्बर से कर लो

(गोबिन्द गोयल)
जिला कलेक्टर, अजमेर